भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1297

उत्तर देने की तारीख : सोमवार, 08 दिसंबर, 2025

17 अग्रहायण, 1947 (शक)

मंदिरों और विरासत संरचनाओं का संरक्षण

1297. कैप्टन विरयाटो फर्नांडीस:

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र और राज्य सरकारों ने पवित्र स्थलों के पास सड़क परियोजनाओं को मंजूरी देने से पहले विरासत सुरक्षा संबंधी उपायों के बगैर देव खपरेश्वर मंदिर के विध्वंस और सदियों पुराने बरगद को उखाड़ने के मद्देनजर विरासत प्रभाव आकलन किया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने धार्मिक समारोहों के बाद बोधगेश्वर मंदिर में छोड़े गए प्लास्टिक प्रदूषण को देखते हुए पवित्र स्थल के प्रदूषण के स्तर के लिए दंड के साथ स्थानीय निकायों द्वारा लागू करने योग्य कार्यक्रम-आधारित अपशिष्ट प्रबंधन प्रोटोकॉल अनिवार्य कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का अवसंरचना परियोजनाओं, जिनसे धार्मिक संरचनाओं को नुकसान पहुंचने का खतरा है, के लिए वैकल्पिक संरेखण या बाईपास तलाशने का विचार है और राजमार्ग विस्तार के कारण भोमा गांव के मंदिरों तथा सटेरी एवं महादेव जैसे मंदिरों पर बार-बार आने वाले खतरों के मद्देनजर विरासत अनुपालन लागू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार द्वारा भू-मानचित्रण को वित्तपोषित करने, एफआरए/वन संरक्षण अधिनियमों के तहत पवित्र उपवनों का संरक्षण करने और निगरानी और कानूनी सुरक्षा उपायों द्वारा समर्थित समुदाय के नेतृत्व का संरक्षण स्थापित करने की संभावना है और;

उत्तर
संस्कृति और पर्यटन मंत्री
(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): देव खापरेश्वर मंदिर को न तो प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है और न ही राज्य कानून के तहत राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में अधिसूचित किया गया है। चूँकि, यह स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या राज्य पुरातत्व विभाग की संरक्षण नीति के अंतर्गत नहीं आता है, अतः इसके धरोहर से संबंधित अस्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए वैधानिक आवश्यकता समुयोजित प्रतीत नहीं होती है।

(ख) और (ग): घटना-आधारित अपशिष्ट प्रबंधन मानदंडों को स्थानीय निकायों के माध्यम से लागू किया जा रहा है, जिसमें एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध भी शामिल हैं। मापुसा में बोगदेश्वर यात्रा के लिए, मंदिर समिति ने गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जीएसपीसीबी) के सहयोग से एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक को प्रतिबंधित

करने के लिए सख्त निर्देश जारी किया, स्थल पर क्या करें और क्या न करें से संबंधित बैनर प्रदर्शित किया और उल्लंघनकारियों पर जुर्माना लगाया गया है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्लास्टिक के प्रयोग को कम करने के लिए विक्रेताओं को पुनः प्रयोगात्मक कपड़े के थैले भी संवितरित किए हैं।

(घ): आस-पास की धार्मिक संरचनाओं की सुरक्षा सहित सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद सबसे उपयुक्त सड़क संरेखण पर संस्वीकृति दी गई थी। गोवा सरकार के लोक निर्माण विभाग द्वारा सतेरी और महादेव मंदिरों सहित भोमा जैसे मंदिरों पर यथासंभव किसी भी प्रभाव को कम करने के लिए बाईपास विकल्पों की भी जांच की जा रही है।

(ङ): वर्तमान में, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत पवित्र उपवन के संरक्षण से संबंधित ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****